संख्या: 16 /2016/1223/ सत्रह - म- 2016।।-। (12)/2007

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 12जुलाई 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य पोषित जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालक विविधीकरण योजनान्तर्गत प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 228/नि0शा0 दिनांक 02 मई, 2016 एवं पत्र संख्या - 335/नि0शा0/ 2016-17 दिनांक 20 जून 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि मे से राज्य पोषित जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना के लिए वित्त आय-व्ययक अनुभाग'-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 के प्रस्तर -13(घ) में दिये गये निर्देशों के क्रम में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 100. 00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिकानुसार 49 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है :-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरितकर किसी बैंक / पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी। उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा जिसकी वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्थानुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायगा ।

(3) उपरोक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो व्यय करने से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(4) उपरोक्त धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित जनपदों में जल प्लावित क्षेत्रों का सुधार कर मत्स्य पालन की दृष्टिकोण से विकसित किया जायेगा । यह परियोजना छोटे जलप्लावित जल क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी । डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास में चयनित ग्रामों में उपलब्ध जलप्लावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जायेगा । सुधारोपरान्त यह तालाब शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप चयनित लाभार्थियों को आवंटित् कर मत्स्य पालन का कार्य कराया जायेगा। सूधार का कार्य नाबार्ड योजना द्वारा निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

मानकों अथवा कार्यदायी संस्था की आगणन के अनुसार कराया जायेगा । जहॉ पर आवश्यकता हो वहॉ सक्ष्म अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय । किसी भी प्रकार की अनियमितता आवंछनीय होगी ।

(5) रू0 एक करोड़ की धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग करने के पश्चात उपभोग प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत की जायेगी1

2- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनागत , 101- अन्तदेर्शीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम 0406- जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत् जारी किये जा रहें है ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या- 16/2016/1223(1)/2016/ सत्रह - म- 2016 तददिंनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
5- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या - 16/ 2016/1223(2)/सत्रह-म-2016 ।।-। (12)/2007 दिनांक 12जुलाई 2016 का संलग्नक वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना हेतु 49 जनपदों की वित्तीय स्वीकृति ।

क्र0सं0	जनपद	आच्छादित किये जाने वाले जलक्षेत्र (हे0 में)	आंवटन हेतु धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	अलीगढ	2.00	1.00
2	कासगंज	1.00	0.50
3	फिरोजाबाद	2.00	1.00
4	मैनपुरी	1.00	0.50
5	आजमगढ	10.00	5.00
6	मऊ	5.00	2.50
7	बलिया	9.00	4.50
8	इलाहाबाद	2.00	1.00
9	कौशाम्बी	1.00	0.50
10	फतेहपुर	2.00	1.00
11	प्रतापगढ	6.00	3.00
12	इटावा	2.00	1.00
13	कन्नौज	3.00	1.50
14	गोरखपुर	4.00	2.00
15	महराजगंज	5.00	2.50
16	कुशीनगर	5.00	2.50
17	बस्ती	2.00	1.00
18	संतकबीरनगर	1.00	0.50
19	सिद्वार्थनगर	5.00	2.50
20	झांसी	1.00	0.50
21	जालौन	1.00	0.50
22	ललितपुर	1.00	0.50
23	गोण्डा	3.00	1.50
24	बलरामपुर	7.00	3.50
25	बहराइच	9.00	4.50

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	श्रावस्ती	5.00	2.50
27	फैजाबाद	2.00	1.00
28	अम्बेडकरनगर	2.00	1.00
29	सुल्तानपुर	1.00	0.50
30	अमेठी	1.00	0.50
31	बरेली	7.00	3.50
32	बदायूँ	10.00	5.00
33	शाहजहाँपुर	7.00	3.50
34	पीलीभीत	10.00	5.00
35	मुरादाबाद	2.00	1.00
36	सम्भल	2.00	1.00
37	अमरोहा	2.00	1.00
38	रामपुर	3.00	1.50
39	बिजनौर	6.00	3.00
40	बुलन्दशहर	5.00	2.50
41	उन्नाव	8.00	4.00
42	रायबरेली	5.00	2.50
43	सीतापुर	5.00	2.50
44	हरदोई	9.00	4.50
45	लखीमपुर खीरी	7.00	3.50
46	गाजीपुर	5.00	2.50
47	सहारनपुर	2.00	1.00
48	मुज्फरनगर	3.00	1.50
49	शामली	1.00	0.50
	योग	200.00	100.00

(कुल रू0 एक करोड मात्र)

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।